[2023] 4 एस. सी. आर 585

/

जोसेफ शाइन

बनाम

भारत संघ

(2020 का विविध आवेदन संख्या 2204) 31 जनवरी, 2023

/

[के**.** एम**.** जोसेफ**,** अजय रस्तोगी**,** अनिरुद्ध बोस**,** हृषिकेश रॉय और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

निर्णय/आदेश-सेना अधिनियम, 1950 का स्पष्टीकरण।45, 63 – वायु सेना अधिनियम, 1950-एस.45, 65 – नौसेना अधिनियम, 1957-ss.54(2), 74 – भारत संघ (यू. ओ. आई.) ने निर्णय का स्पष्टीकरण मांगा

/

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट की [2018]

11 एससीआर 765-आयोजितःजोसेफ शाइन मामले में, संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में अधिनियमों की योजना विचार के लिए नहीं आती थी-कहा गया निर्णय प्रश्न अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव और संचालन से संबंधित नहीं था-न्यायालय को न तो बुलाया गया था और न ही एस. एस. के प्रभाव पर निर्णय देने का साहस किया गया था।45 और 1950 के अधिनियम के 63 या अन्य अधिनियमों के संबंधित प्रावधान या अधिनियमों के किसी अन्य प्रावधान-इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय ने व्यभिचार को मंजूरी दे दी है-यह पाया गया कि व्यभिचार एक नैतिक गलत हो सकता है (माननीय इंदु मल्होत्रा, जे. के अनुसार)-यह विवाह को भंग करने के लिए एक आधार बना रहेगा और इसे एक नागरिक गलत के रूप में भी वर्णित किया गया है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 33-सशस्त्र बल।

/

/

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39:

[2018] 11 एससीआर **765-**स्पष्ट किया गया।

/

सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड न्यायालय ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य विविध

सिविल अपील संख्या **5041** में **2021** का आवेदन संख्या **1572**

2021 का**;** दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन

और अन्य (2000) 7 एस. सी. सी. 296:[2000] 2 पूरक।एस. सी. आर. 496-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2018] 11 एससीआर **765**

स्पष्ट कीजिए।

पैरा **3,24 [2000] 2** पूरक।पैरा **18** ए में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 496**

/

585

586

/

[2023] 4 एस सी आर।

2020 का विविध आवेदन No.2204:2017 की लिखित याचिका (आपराधिक) No.194 में।

डब्ल्यू. पी. में 27.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से। (सीआरएल।) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2017 का No.194।

सह

/

2017 की रिट याचिका (आपराधिक) No.194 में 2021 का विविध आवेदन No.1702।

श्रीमती माधवी दीवान, संजय जैन, श्री आर बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वेश सिंह, सचिन शर्मा, मोहम्मद अखिल, बालेन्दु शेखर, कानू अग्रवाल, श्रीमती दीपबली दत्ता, मयंक पांडे, आनंद वेंकटरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, चितवन सिंघल, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, अरविंद कुमार शर्मा,

सुश्री निधि खन्ना, सुश्री ऐश्वर्या नभ, आनोरिता देब, शुभम सहगल, ऐशानी नारायण, कलीश्वरम राज, निशे राजन शोंकर, सुश्री थुल।याचिकाकर्ता के लिए।

/

/

के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, सुश्री अन्न्या घोष, दुष्यंत मनोचा, सुश्री मृणालिनी मिश्रा, सुश्री चित्रा वत्स, सुश्री डोएल बोस, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

/

के. एम. जोसेफ, न्या .

मिसेलेनियस आवेदन सं। 2020 का 2204 आईएन

लिखित याचिका (आपराधिक) सं। 2017 का 194

/

(1) हस्तक्षेप और अभियोग के लिए आवेदनों की अनुज्ञात है।(2) यह विविध आवेदन भारत संघ द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण की मांग करते हुए दायर किया गया हैः

“(क) कि सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के अधीन व्यक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के आधार पर, एक विशिष्ट वर्ग होने के नाते, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी भी अनैतिक या व्यभिचारपूर्ण कार्य को सेना अधिनियम की धारा 45 या 63, वायु सेना अधिनियम की धारा 45 या 65 और नौसेना अधिनियम की धारा 54 (2) या 74 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित करने की अनुज्ञात जानी चाहिए, जो विशेष कानून हैं और क

/

/

अनुशासन की आवश्यकताओं और अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन पर विचार करना। "

(3) आवेदक जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय का स्पष्टीकरण मांग रहा है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदक उक्त मामले में एकमात्र प्रतिवादी था।

/

(4) जिन कारणों ने आवेदक को स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेरित किया है, वे इस प्रकार हैंः

यह आवेदक का मामला है कि इस न्यायालय ने निस्संदेह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 497 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) को असंवैधानिक पाया है क्योंकि इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 को आहत किया है। हालांकि, यह आवेदक का मामला है कि सशस्त्र बलों के अधिकारी वैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं।, सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।

/

/

(5) हमारा ध्यान आगे संविधान के अनुच्छेद 33 की ओर आकर्षित किया जाता है जो इस प्रकार हैः

“33. बलों आदि पर उनके अनुप्रयोग में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति।— संसद, विधि द्वारा, यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त विधि ों में से कोई भी अपने आवेदन में किस हद तक -

/

(क) सशस्त्र बलों के सदस्य; या

((ख) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बलों के सदस्य; या

(ग) खुफिया या प्रति खुफिया उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति; या

/

(घ) खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उनके संबंध में नियोजित व्यक्ति,

/

अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित या निरस्त किया जाए।” (6) यह आवेदक का मामला है कि यह धारणा उत्पन्न की गई है और इसे बनाए रखने की कोशिश की गई है कि निर्णय के आलोक में

/

/

[2023] 4 एस सी आर।

जिनमे से स्पष्टीकरण माँगा जाता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं बचेगा, भले ही कोई मामला प्रश्न अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अन्यथा किया जाए।(7) आवेदक की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने एक उदाहरण के रूप में सेना अधिनियम, 1950 (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद 1950 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निम्नलिखित प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

/

अध्याय VI उसके अधीन अपराधों से संबंधित है।हमारा ध्यान धारा 45 की ओर आकर्षित किया गया हैः

“45. अशोभनीय आचरण।कोई भी अधिकारी, कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी या वारंट अधिकारी जो अपने पद और उससे अपेक्षित चरित्र के प्रतिकूल तरीके से व्यवहार करता है, कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, यदि वह एक अधिकारी है, तो कैशियर होने या इस अधिनियम में उल्लिखित कम सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा; और, यदि वह एक कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी या वारंट अधिकारी है, तो बर्खास्त होने या इस अधिनियम में उल्लिखित कम सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा। "

/

/

(8) वह आगे धारा 63 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैः

“63. अच्छी व्यवस्था और अनुशासन का उल्लंघन।इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या चूक का दोषी है, जो यद्यपि इस अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल है, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, सात साल तक की अवधि के लिए कारावास या इस अधिनियम में उल्लिखित कम सजा का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा। "

/

(9) अंत में, उन्होंने धारा 69 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कियाः

69.सिविल अपराध।धारा 70 के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति जो भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर कोई नागरिक अपराध करता है, उसे इस अधिनियम के खिलाफ अपराध का दोषी माना जाएगा और यदि इस धारा के अंतर्गत उस पर

आरोप लगाया जाता है, तो वह कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा और दोषी ठहराए जाने पर निम्नानुसार दंडनीय होगा, अर्थात -

/

/

(क) यदि अपराध वह है जो भारत में लागू किसी विधि के अंतर्गत मृत्यु या परिवहन के साथ दंडनीय होगा, तो वह उपरोक्त विधि द्वारा अपराध के लिए निर्धारित कोड़े मारने के अलावा कोई भी सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम में उल्लिखित कम सजा; और क

/

(ख) किसी अन्य मामले में, वह भारत में लागू विधि द्वारा अपराध के लिए दी गई कोड़े मारने के अलावा कोई भी सजा, या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास, या इस अधिनियम में उल्लिखित कम सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा।(10) वह तुरंत बताएगी कि जोसेफ शाइन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में, चूंकि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया गया है और यह 1950 के अधिनियम की धारा 69 के अर्थ के भीतर एक दीवानी अपराध है, इसलिए अधिकारियों के लिए धारा 69 के अंतर्गत एक अधिकारी के खिलाफ आगे बढ़ना खुला नहीं हो सकता है।हालाँकि, यह आगे का मामला है कि यह अधिकारियों को 1950 के अधिनियम की धारा 45 और/या धारा 63 को लागू करने से नहीं रोकेगा। नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम में भी इसी तरह के प्रावधान हैं।

/

/

यह उसका निवेदन है कि व्यभिचारी कृत्य शब्द का वही अर्थ होगा जो शब्दकोश में दिया गया है। इसी तरह स्वच्छन्द शब्द भी।उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 के साथ एकीकृत रूप से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाना चाहिए।

/

(11) उनके अनुसार, सशस्त्र बलों के सदस्य एक अलग वर्ग के हैं।उन्होंने 1950 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह बताया गया है कि विधि को एक विस्तृत संहिता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।यह एक पूर्ण कोड है। यह आत्म-नियमन प्रदान करता है।उनके अनुसार, जोसेफ शाइन (उपरोक्त) में इस न्यायालय

के निर्णय को विवाह की संस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।इसे कार्यस्थल के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था।आगे विस्तार करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंगित करेंगे कि जिस सेटिंग में सशस्त्र बल काम करते हैं, वह इसे एक अद्वितीय कार्यस्थल बनाता है।बल के सदस्यों के बीच अनुशासन एक ऐसा मामला है जो अपरिहार्य है।उनके अनुसार, यदि अधिकारियों द्वारा कब्जा किए जाने वाले उच्च नैतिक आधार को कमजोर कर दिया जाता है, तो अनुशासन वास्तव में बाधित होगा।1950 के अधिनियम की धारा 45 और 63 के साथ-साथ अन्य दो अधिनियमों में संबंधित प्रावधानों को लागू करने वाले अधिकारियों के लिए बाधा अंततः एक ऐसी स्थिति में परिणाम देगी, जहां संवेदनशील बलों में, जो सशस्त्र बल हैं, यह अनुशासनहीनता पैदा करेगा और पैदा करेगा।जो ताकतें एक के रूप में कार्य करती हैं और भाईचारे की भावना के अस्तित्व पर आगे बढ़ती हैं, उनका मनोबल टूट जाएगा।यह वह नहीं था जो इस न्यायालय के विचार में था जब उसने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया था।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 को आहत करती है। न्यायालय का तर्क है कि वह एक पुराने युग [विक्टोरियन युग] के मूल्यों का सहारा लेने और उन विचारों से व्यथित था जो

/

/

/

/

इस न्यायालय को 1950 के अधिनियम की धारा 45 और 63 के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों की वैधता या वैधता पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराने के लिए राजी किया गया। वास्तव में, उन्होंने यह इंगित किया कि निजता के अधिकार के मामले में भी असहमति का एक तत्व था जिसकी वकालत एक विद्वान न्यायाधीश के निर्णय में की गई है, जबकि दूसरे न्यायाधीश के निर्णय में इसका इतना प्रमाण नहीं दिया गया है।सशस्त्र बलों में एक कमान संरचना है जिसे बनाए रखना अनिवार्य है।इस तरह की कमान संरचना बाधित होगी।इस संबंध में वह हमें 1950 के अधिनियम की धारा 45 में 'अशोभनीय आचरण' शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। वह प्रस्तुत करेगी कि ऐसे मामले में जहां अधिकारी पर अनुचित आचरण का आरोप लगाया जाता है और इसमें व्यभिचार का कार्य शामिल होता है, अधिकारियों के कार्रवाई करने के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता है।

/

/

(12) विशेष रूप से, विद्वान ए. एस. जी. यह भी बताएगा कि प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ हैं और यह इस न्यायालय द्वारा पाए गए दोष से पीड़ित नहीं है जब उसने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। जो कोई भी पुरुष या महिला हो, जो इस तरह से कार्य करता है जो अशोभनीय पाया जाता है, उसके खिलाफ 1950 के अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। समान रूप से, उन्होंने धारा 63 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और 'सैन्य अनुशासन' अर्थात् अच्छी व्यवस्था के महत्व की ओर इशारा किया।दूसरे शब्दों में, कोई भी कार्य या चूक जो अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है और अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल पाई जाती है, धारा 63 के अंतर्गत कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।उन्होंने इस हद तक इशारा किया कि इससे विद्रोह हो सकता है।वह प्रस्तुत करेगी कि वास्तव में एक अशांतिपूर्ण विघटन हुआ है।

/

/

(13) वह आगे बताएंगी कि भारत संघ निम्नलिखित स्थिति का सामना कर रहा हैः

/

यदि 1950 के अधिनियम की धारा 45 और 63 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसे चुनौती दी जा रही है।अधिकारी/कार्मिक द्वारा उठाए गए विवाद की जड़ यह है कि इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्रवाई वर्जित है।इसके कारण कई मामले सामने आए हैं। एक निश्चित मात्रा में अराजकता है।इससे सशस्त्र बलों में अनुशासन नहीं बना रहता है।

/

(14) सुश्री माधवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रस्तुत करेंगी कि यह न्यायालय , कम से कम, स्पष्ट कर सकता है कि इस न्यायालय का निर्णय अधिनियमों के अंतर्गत प्रश्न गत प्रावधानों से संबंधित नहीं था और न ही उससे संबंधित है।

/

/

(15) हमें Ms.Anannya घोष और विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर को सुनने का भी लाभ मिला है।वे वकील हैं जो हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश होते हैं।उनके द्वारा यह बताया गया है कि स्पष्टीकरण के लिए आवेदन की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है।

(16) वे प्रस्तुत करेंगे कि स्पष्टीकरण का आदेश देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। कार्यवाही का निर्णय उन तथ्यों पर किया जाना चाहिए जो प्रत्येक मामले के लिए प्रासंगिक हैं। स्पष्टीकरण के लिए आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तावित समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अलग-अलग मामलों में जहां यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, यह आवेदक को अपने उपायों पर काम करना है और यह न्यायालय सर्वव्यापी स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकता है।

/

(17) श्री कलीस्वरन राज, विद्वान वकील, याचिकाकर्ता-जोसेफ शाइन की ओर से स्पष्ट किए जाने वाले निर्णय में पेश होते हैं।

/

वह प्रस्तुत करेंगे कि स्पष्टीकरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।इस संबंध में, उन्होंने इस आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर में न्यायालय

एसोसिएशन और अन्य (2021 की सिविल अपील संख्या 5041 में 2021 का विविध आवेदन संख्या 1572)।न्यायालय ने नोटिस किया कि उसमें आवेदक निम्नलिखित प्रार्थनाओं की मांग कर रहा थाः

/

“(क) आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय को इस हद तक संशोधित करें कि आवेदक ऊपर पैराग्राफ 6 में निर्धारित टावर टी-17 के एक हिस्से को ध्वस्त कर सकता है।

/

(ख) वर्तमान आवेदन में अंतिम आदेश पारित होने तक एमराल्ड न्यायालय प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 93 ए, नोएडा में टावर 16 और 17 के संबंध में यथास्थिति का आदेश पारित करें। "

(18) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय आवेदन की व्यवहार्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा है।ऐसा करते हुए, न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य (2000) 7 एस. सी. सी. 296 में इस न्यायालय के निर्णय का पालन किया हैः

/

“क्रमिक निर्णयों में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि समीक्षा की आड़ में "विविध आवेदन" या "स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए आवेदन" के रूप में शैलीबद्ध आवेदनों को दाखिल नहीं किया जा सकता है।

/

मुखरता से।गुरदीप सिंह उबन (ऊपर) मामले में, न्यायमूर्ति एम.

जगन्नाथ राव ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए कहाः

“17.इसके बाद हम निर्णयों के "स्पष्टीकरण", "संशोधन" या "वापस बुलाने" के लिए आवेदनों के रूप में वर्णित आवेदनों पर आते हैं या

/

592

/

[2023] 4 एस सी आर।

अंततः आदेश पारित हो गए।हम यह इंगित कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के सुसंगत नियम XL के अंतर्गत एक समीक्षा आवेदन को पहले प्रचलित विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष जाना होगा और यह न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या मौखिक सुनवाई किए बिना आवेदन को खारिज किया जाना है या क्या नोटिस जारी किया जाना है।

/

आदेश एक्स. एल. नियम 3 इस प्रकार बताता हैः

“3. जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, समीक्षा के लिए एक आवेदन का बिना किसी मौखिक तर्क के परिसंचरण द्वारा निपटान किया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता अतिरिक्त लिखित तर्कों द्वारा अपनी याचिका का पूरक हो सकता है।न्यायालय या तो याचिका को खारिज कर सकता है या विरोधी पक्ष को सीधे नोटिस दे सकता है।

/

यदि नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस दिए जाने के बाद समीक्षा याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।यह प्रक्रिया न्यायालय का समय बचाने और खुली अदालत में दायर और सुनवाई की जाने वाली तुच्छ समीक्षा याचिकाओं को रोकने के लिए है।हालांकि, "कोई सुनवाई नहीं" की इस प्रक्रिया से बचने के लिए, हम पाते हैं कि कभी-कभी "स्पष्टीकरण", "संशोधन" या "वापस बुलाने" आदि के लिए आवेदन दायर किए जाते हैं, इसलिए नहीं कि ऐसा कोई स्पष्टीकरण, संशोधन वास्तव में आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि आवेदक वास्तव में

समीक्षा चाहता है और सुनवाई भी चाहता है, इस प्रकार इसे प्रसारण के माध्यम से कक्षों में सूचीबद्ध करने से बचा जाता है।ऐसे आवेदन, यदि वे सार समीक्षा आवेदनों में हैं, तो तुरंत अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं क्योंकि प्रयास स्पष्ट रूप से मौखिक सुनवाई के बिना विचार के लिए कक्षों में आवेदन के प्रसार से संबंधित आदेश एक्सएल नियम 3 को दरकिनार करने का है। एक आवेदन को "स्पष्टीकरण" या "संशोधन" के लिए एक के रूप में वर्णित करके-हालांकि यह वास्तव में समीक्षा का एक है-एक पक्ष को परिसंचरण प्रक्रिया को दरकिनार करने या दरकिनार करने और अप्रत्यक्ष रूप से खुली न्यायालय में सुनवाई प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जो सीधे नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।(इस संबंध में सोन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1982) 2 एस. सी. सी. 398] मामले में इस न्यायालय के तत्कालीन पंजीयक का एक विस्तृत आदेश देखें जिसमें इसी तरह की प्रथा की निंदा की गई है।

/

/

/

/

18. इसलिए, हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल से सहमत हैं कि न्यायालय को "स्पष्टीकरण", "संशोधन" या "वापस बुलाने" के लिए इस तरह के आवेदन की सुनवाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए यदि आवेदन समीक्षा के लिए सार में है।उस स्थिति में, न्यायालय या तो आवेदन को तुरंत लागत के साथ या उसके बिना अस्वीकार कर सकता है या अनुमति दे सकता है

/

शुरू में कक्षों में सूचीबद्ध होने के लिए एक समीक्षा आवेदन दायर करने की अनुमति के साथ निकासी। "

(19) इस दृष्टिकोण को बाद के निर्णयों में स्पष्ट रूप से स्वीकृति मिली है।यह निस्संदेह उक्त मामले के तथ्यों में पाया गया कि आवेदन में निर्णय में पर्याप्त संशोधन की मांग की गई थी।इसके बाद, निस्संदेह, इस न्यायालय ने भी निम्नलिखित निर्णय दिया:

/

“12 न्यायिक घोषणा की विशिष्टता इसकी स्थिरता और अंतिमता है।न्यायिक निर्णय रेत के टीलों की तरह नहीं होते हैं जो हवा और मौसम की अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं (मेघमाला

बनाम जी नरसिम्हा रेड्डी, (2010) 8 एससीसी 383 देखें)।इस न्यायालय में अंतिम निर्णय सुनाए जाने के बाद बार-बार दायर किए जाने वाले विविध आवेदनों की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है।इस तरह की प्रथा का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।यह मुकदमेबाजी को एक जुआ में बदल देता है।न्यायिक निर्णयों के अनुपालन से बचने के लिए रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों वाले लोगों के लिए विविध आवेदन एक पसंदीदा पाठ्यक्रम बन रहे हैं।एक बार निर्णय सुनाए जाने के बाद न्यायिक घोषणा में विविध आवेदन दायर करके संशोधन नहीं किया जा सकता है।किसी निर्णय के संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विविध आवेदन को दायर करने की विधि में परिकल्पना नहीं की गई है।इसके अलावा, यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि कोई अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो कोई सीधे नहीं कर सकता है।

/

/

/

पूर्व निर्देश, निषेध और प्रति तिरछा "]।

(20) वह प्रस्तुत करेगा कि आवेदक के लिए वर्तमान आवेदन दाखिल करने का कोई अवसर नहीं है।

(21) मुख्य मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, वास्तव में, आवेदक से सहमत होंगे कि स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आवेदन में जो प्रश्न उठाए गए हैं, वे वे नहीं थे जो निर्णय में विचार के लिए उठे थे जिन्हें स्पष्ट करने की मांग की गई थी।यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 की वैधता से संबंधित था। यह उसी पर उच्चारण करता था।इसका अधिनियमों के प्रावधानों से अंतर्गत ई लेना-देना नहीं था।

/

/

(22) वह प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय के लिए तदनुसार आदेश को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं आया है।वास्तव में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया।किसी दिए गए मामले में, प्राधिकरण को निम्नलिखित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है।एक अधिकारी के खिलाफ 1950 के अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है; उसके खिलाफ आरोप व्यभिचार है; दूसरे शब्दों में, यह आरोप लगाया जाता है कि उसने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 के अर्थ में व्यभिचार किया है।

/

/

[2023] 4 एस सी आर।

जिसे तोड़ दिया गया है।मूल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कलीश्वरम राज बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि, यह तथ्य कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है, 1950 के अधिनियम की धारा 45 में निहित प्रावधानों की सहायता से अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के रास्ते में नहीं आ सकता है। बेशक, वे कहते हैं कि निर्णय अंततः तथ्यों के खेल पर निर्भर होना चाहिए।

/

(23) प्रश्न मामले में यह न्यायालय केवल भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198 (2) (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद 'Cr.P.C' के रूप में संदर्भित) की वैधता से संबंधित था।इस न्यायालय ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णयों के माध्यम से बात की।इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के प्रमुख निर्णय के अलावा, और जिनके साथ, माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर सहमत थे, अन्य विद्वान न्यायाधीशों ने अलग-अलग राय लिखी।हालाँकि, वे इस बात पर सहमत थे कि भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता धारा 497 और धारा 198 असंवैधानिक थीं।जिस आधार पर इस प्रावधान को निरस्त किया गया था, वह यह था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 को आहत करता है।

/

/

इस मामले में, इस न्यायालय के पास प्रश्न अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।वास्तव में, हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय ने व्यभिचार को मंजूरी दे दी है।इस न्यायालय ने पाया है कि व्यभिचार एक नैतिक गलत हो सकता है (माननीय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के अनुसार)।इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यह विवाह को भंग करने के लिए एक आधार बना रहेगा।इसे एक नागरिक गलती के रूप में भी वर्णित किया गया है।

/

(24) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में, विशेष रूप से, अधिनियमों की योजना इस न्यायालय के विचार के लिए नहीं आती है, हमें आवश्यक रूप से यह अवलोकन और स्पष्ट करना चाहिए कि जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39 में इस न्यायालय का निर्णय उन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव और संचालन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था जो आवेदक द्वारा हमारे सामने रखे गए हैं।दूसरे

शब्दों में, इस न्यायालय को न तो बुलाया गया था और न ही उसने 1950 के अधिनियम की धारा 45 और 63 के प्रभाव के साथ-साथ अन्य अधिनियमों या अधिनियमों के किसी अन्य प्रावधानों में संबंधित प्रावधानों पर निर्णय देने का साहस किया है।

/

/

(25) हम केवल इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं और विविध अनुप्रयोग का निपटारा करते हैं।

लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

/

595

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

/

मिसेलेनियस आवेदन सं। 2021 का 1702 आईएन

लिखित याचिका (आपराधिक) सं। 2017 का 194 (26) अभियोग के लिए आवेदन की अनुज्ञात है।

/

(27) विविध आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

दिव्या पांडे

आवेदनों का निपटारा किया गया।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/